लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
016/2026(सू.अ.) (GCMS 2026/36) RTI Portal अपील क्रमांक 340935306078129	02-02-2026	18-02-2026

उनवान

श्री अशोक पलोड़ निवासी न्यू दिवाकर नगर, 22 चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (मोबाईल 9887482105)

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु RTI Portal के माध्यम से एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 15.12.2025 को लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां प्रस्तुत किया, प्रस्तुत आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में भी लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता /प्र.सं./016/2026(सू.अ.)(18.02)/84 दिनांक 04.02.2026 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये, प्रकरण में आगामी नियत दिनांक 18.02.2026 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 18.02.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2026/17 दिनांक 16.02.2026 से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:-

1. यह सही है कि प्रार्थी श्री अशोक पलोड़, निवासी न्यू दिवाकर नगर, 22 चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 15.12.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ हैं।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से वांछित सूचना आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/306 दिनांक 15.12.2025 से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत अन्तरित कर प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है। (प्रति संलग्न)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवा दिये जाने से वर्तमान में इस प्रकरण पर इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है।
4. यह कि प्रार्थी को वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करा दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त कराने का श्रम करावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 15.12.2025 (ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 340935306078129) से वांछित सूचना आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से अपीलार्थी का उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा जरिये पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/306 दिनांक 15.12.2025 से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत विहित समयावधि में संबंधित लोक सूचना अधिकारी आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ को स्थानान्तरित करते हुए उक्त पत्र की छायाप्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित किया जाना स्पष्ट प्रतिवेदित है। अतः इस आवेदन पत्र पर अग्रिम कार्यवाही आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ के स्तर से अपेक्षित थी। आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है तो उस दशा में अपीलार्थी को उनके अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा धारा 6(3) में विहित समयावधि में अन्य लोक सूचना अधिकारी को हस्तान्तरित करने की दशा में इस न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं रह जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील पर इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने के आधार पर अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ तथा अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क प्रेषित की जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official